प्रकरण संख्या 93/2024 मोहनलाल व अन्य बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली, तहसील गिर्वा में साबिक आराजी नंबर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो जमाबन्दी संवत् 2017 से 2028 की जमाबन्दी में भीमा दर्जी के वारिसान तुलसीराम, पन्नालाल, मगनीराम पिता भीमा दर्जी के खातेदारी में दर्ज थी तथा उनका कब्जा काश्त होकर कोट–बाड़ बना रखी है। संवत् 2028 के बाद सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने वर्तमान आराजी नंबर 5020 रकबा 0.0850 हैक्टर, 5021 रकबा 0.0300 हैक्टर, 5022 रकबा 0.0850 हैक्टर, 5023 रकबा 0.1250 हैक्टर एवं 5024 रकबा 0.1950 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.5200 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते दर्ज कर दी तथा शेष भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर हाल आराजी नंबर 5014, 5015, 5031, 5032, 5034, 5036 में मिला दी, जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों को वादीगण की भूमि का रकबा कम करने का अधिकार रहीं है। साबिक आराजी नंबर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली में रकबा 1.1988 हैक्टर बनता है, जबकि वादीगण के खाते में 0.5200 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया गया है, 0.6852 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गयी है, जबकि मौके पर वादीगण का सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा चला आ रहा है। रकबा 0.702 हैक्टर भूमि रास्ते में मिला दी, जिसे वादी नहीं लेना चाहते, शेष 0.6150 हैक्टर भूमि लेना चाहता है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों को इन्द्राज परिवर्तन का कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया इन्द्राज विधि विरूद्ध है। अतः हाल आराजी नंबर 5014 रकबा 0.4450 हैक्टर, आराजी नंबर 5015 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 5031 रकबा 0.0350 हैक्टर, आराजी नंबर 5032 रकबा 0.0050 हैक्टर, आराजी नंबर 5034 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 0.6150 हैक्टर का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में 4 तनकियां कायम की तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.07.2024 से वादीगण का खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.09.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री काशीराम मेघवाल उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट के पूर्वधिकारी के खाते में साबिक आराजी नंबर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा दर्ज थे, जिसका मैट्रिक प्रणाली अनुसार रकबा 1.1988 हैक्टर बनता है, जबकि अपीलान्ट के खाते में 0.5200 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया गया है, शेष 0.6852 हैक्टर रकबा कम दर्ज हुआ है। उक्त आराजियात में हाल आराजी नंबर 5037 रकबा 0.0702 हैक्टर रास्ते में चले जाने से अपीलान्टगण उक्त भूमि नहीं चाह रहे हैं, किन्तु शेष रकबा 0.6150 की अपीलान्ट/वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सेटलमेन्ट द्वारा इन्द्राज परिवर्तन मात्र तीन अवस्था में ही किये जा सकते हैं, प्रथम न्यायालय डिक्री, द्वितीय विक्रय पत्र, तृतीय विरासत, इसके अतिरिक्त बिना की कारण के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेन्ट कर्मचारियों को नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकियों का साक्ष्यों के अनुसार विवेचन नहीं किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण को आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

नंबर 5014 रकबा 0.4450 हैक्टर, आराजी नंबर 5015 रकबा 0.0200 हैक्टर, आराजी नंबर 5031 रकबा 0.0350 हैक्टर, आराजी नंबर 5032 रकबा 0.0050 हैक्टर, आराजी नंबर 5034 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 0.6150 हैक्टर का अपीलान्ट/वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि हाल आराजी नंबर 5014, 5015, 5031, 5032, 5034, 5036 साबिक आराजी नंबर 1634/2 से नहीं बने हैं, बल्कि साबिक आराजी नंबर 1634 मीन से बने हैं, जो कभी भी अपीलान्ट/वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्टगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में साबिक आराजी नंबर 1634/2 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी भीमा वल्द नाथू दर्जी के खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार का इन्द्राज संवत् 2021 से 2024 में किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 में उक्त आराजी भीमा के पुत्र तुलसीराम, पन्नालाल व मगनीराम के नाम दर्ज है, जो अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी हैं तथा इस संबंध में बनी तनकी नंबर 1 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण के पक्ष में निर्णित की है, किन्तु तनकी नंबर 2 व 3 के विवेचन में साबिक आराजी नंबर 1634/2 से हाल आराजी नंबर 5014, 5015, 5031, 5032, 5034, 5036 बनना नहीं मानते हुए उक्त आराजी नंबर साबिक आराजी नंबर 1634 मीन से बनना मानते हुए उक्त दोनों तनकियां अपीलान्ट/वादीगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि साबिक रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली अनुसार रकबा 1.[illegible] हैक्टर बनता है, जबकि

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण के खाते में 0.5200 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया गया है, शेष रकबा बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा हमारे सम्मुख जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रस्तुत की है, जिसमें 1634 मीन का रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ही अंकित है, जबकि वर्तमान में 1634 मीन का जो रकबा बिलानाम दर्ज कर दिया गया है, वह अपीलान्टगण के 5 बीघा 11 बिस्वा के मुकाबले कहीं अधिक दर्ज है, जिससे अपीलान्ट/वादीगण के खाते का कमी रकबा बिलानाम आराजी में जाना प्रकट होता है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 93/2024 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को पुनः सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested